–:प्रेस विज्ञप्ति:–

जनपद–हरिद्वार के समस्त कृषकों/कृषक समूहों को सूचित किया जाता हैं, कि जनपद में कृषि यन्त्र एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर पंजीकरण (Registraition) की प्रक्रिया भारत सरकार के DBT Portal https//agrimachiery.nic.in पर प्रारम्भ हो चुकी हैं। कृषि यन्त्रों पर अनुदान पात्र कृषकों को ही उपलब्ध कराया जायेगा। यन्त्र क्रय करने से पूर्व कृषक पात्रता की पुष्टि स्वयं कर लेंवें। पात्रता सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए अपने न्याय पंचायत प्रभारी/विकासखण्ड़ प्रभारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें। अपात्र कृषकों द्वारा यन्त्र क्रय कर लिये जाने पर अनुदान उपलब्ध नही कराया जायेगा। अतः इच्छुक कृषक/कृषक समूहों/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/ग्रामीण उद्यमी/कृषक उत्पाद समूह/ग्राम सेवा सहकारी समितियां आदि निम्नानुसार कृषि यन्त्र/कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु पोर्टल पर आँनलाइन पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु DBT Portal पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया :–

1:–सर्वप्रथम कृषक यन्त्र के आवेदन हेतु https//agrimachiery.nic.in पर अपना पंजीकरण करे।

2:–पोर्टल पर Registraition पर क्लिक करने के बाद Drop down list पर Farmer पर क्लिक करें।

3:–कृषक बन्धु अपने आधार नम्बर या मोबाइल नम्बर या नाम के द्वारा (आधार कार्ड के अनुसार नाम) वाछिंत सूचनाऐं भरने के उपरान्त लाँगिन आई॰डी॰ एवं पासवार्ड प्राप्त करें।

4:–जनरेटेड लाँगिन आई॰डी॰ एवं पासवार्ड के द्वारा कृषक पोर्टल पर साइन इन करने के बाद किसान (Add Farmer details)पर स्कैन्ड प्रतिया या जे॰पी॰ई॰जी॰या पी॰डी॰एफ॰ (Scanned/JPEP /png. Max. size 100 KB) के माध्यम से अपना वांछित विवरण अपलोड़ करें (कृषक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, मालगुजारी रसीद (Current Land tax recipt), खतौनी, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र आदि).।

5:–प्रोफाइल में कृषक, यन्त्र के आवेदन के लिये add/view application पर क्लिक करने के उपरान्त New Registraition पर अपना वाछिंत व्यक्तिगत यन्त्र या कस्टम हायरिंग सेन्टर (Application for CHC) का प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।यन्त्रों के लिये विकासखण्डवार लक्ष्यों की एवं डीलरों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

6:–उक्त प्रक्रिया के 15 दिनो के भीतर कृषक को पंजीकृत डीलर का चयन करना होगा अन्यथा/देरी की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा आवेदन खारिज/निरस्त होने के उपरान्त कृषक उसी यन्त्र के लिये 02 माह तक कोई आवेदन नही कर पायेगा।

7:–एक बार डीलर के चयन हो जाने पर उसे बदला नही जा सकता है।

8:–कृषको का अवेदन सफलतापूर्वक जमा होने की जानकारी SMS के द्वारा आवेदन संख्या एवं पिन नम्बर उपलब्ध होगा, जिसे चयनित डीलर को आवेदन के साथ देने के उपरान्त यन्त्र का क्रय 30 दिनों के भीतर करना होगा। निर्धारित दिनों के भीतर कृषक द्वारा यदि यन्त्र क्रय नही किया जाता हैं, तो कृषक का आवेदन खारिज/निरस्त हो जायेगा।

9:–डीलर के द्वारा कृषको के समस्त प्रपत्र तथा बिल की एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

10:–विनिर्माता फर्म द्वारा सम्बन्धित डीलर के बिल के सत्यापन के उपरान्त कृषि यन्त्र का भौतिक सत्यापन कृषि विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा 15 दिन के भीतर किया जायेगा।

11:–कृषक भौतिक सत्यापन/स्थलीय सत्यापन के दौरान कृषि यन्त्र के क्रय बिल तथा यन्त्र के पूर्ण स्पेसिफिकेशन के अनुसार यन्त्र पाये जाने पर ही विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान का पात्र होगा।

12:–कृषको की प्रतिक्षा सूची केवल चालू वित्तीय वर्ष तक के अन्त तक ही वैद्य होगी (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) ।

(डा0वी0के0एस0यादव)
मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार।

कार्यालयः– मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।

पत्राँकः–674 /मु॰कृ॰अ॰/एस॰एम॰ए॰एम॰/यन्त्री॰/2019–20/ दिनाँक 19 अगस्त–2019

प्रतिलिपि:–1:–स्थानीय सम्पादक दैनिक जागरण, हरिद्वार एवं अमर उजाला,हरिद्वार को इस आशय से कि अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनाँक 120–08–2019 के अंक में राजकीय दरों पर न्यूनतम स्पेश में श्वेत श्याम रंग में हरिद्वार संस्करण में प्रकाशित कराते हुये, बिल सत्यापित कर भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।

2 :–जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ।

3 :–समस्त कार्यालय अध्यक्षों जनपद हरिद्वार को उक्त सूचना सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार।

—:प्रेस विज्ञप्तिः—

जनपद—हरिद्वार के समस्त कृषकों/कृषक समूहों को सूचित किया जाता हैं, कि जनपद में कृषि यन्त्र एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर पंजीकरण (Registraition) की प्रक्रिया भारत सरकार के DBT Portal https//agrimachiery.nic.in पर प्रारम्भ हो चुकी हैं। कृषि यन्त्रों पर अनुदान पात्र कृषकों को ही उपलब्ध कराया जायेगा। यन्त्र क्रय करने से पूर्व कृषक पात्रता की पुष्टि स्वयं कर लेंवें। पात्रता सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए अपने न्याय पंचायत प्रभारी/विकासखण्ड़ प्रभारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें। अपात्र कृषकों द्वारा यन्त्र क्रय कर लिये जाने पर अनुदान उपलब्ध नही कराया जायेगा। अतः इच्छुक कृषक/कृषक समूहों/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/ग्रामीण उद्यमी/कृषक उत्पाद समूह/ग्राम सेवा सहकारी समितियां आदि निम्नानुसार कृषि यन्त्र/कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं।

जनपद हरिद्वार में कृषि यंत्रों पर वर्ष 2020—21 में अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए पोर्टल दिनांक 25.08.2020 को प्रातः 11:00 बजे से सभी कृषकों के लिए ओपन हो जाएगा। इच्छुक कृषक भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार पोर्टल DBT Portal https//agrimachiery.nic.in पर कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए https//haridwar.nic.in पर लॉगइन कर सकते है।

(डा0वी0के0एस0यादव)
मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार।

कार्यालयः— मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।

पत्राँकः— 557 /मु॰कृ॰अ॰/एस॰एम॰ए॰एम॰/यन्त्री॰/2020—21/ दिनाँक 10 अगस्त—2020

प्रतिलिपिः—

1:— स्थानीय सम्पादक दैनिक जागरण, हरिद्वार एवं अमर उजाला, हरिद्वार को इस आशय से कि अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनाँक 12—08—2020 के अंक में राजकीय दरों पर न्यूनतम स्पेश में श्वेत श्याम रंग में हरिद्वार संस्करण में प्रकाशित कराते हुये, बिल सत्यापित कर भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।

2:— जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ।

3:— समस्त कार्यालय अध्यक्षों जनपद हरिद्वार को उक्त सूचना सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

4:— प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 हरिद्वार को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद हरिद्वार की एन0आई0सी0 वेबसाइट पर अपलोड करने की कष्ट करें।

मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार।